न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–113 सन् 1998

शम्भू कुमार सिंह वो0 ————————वादीगण

बनाम

सरस्वती देवी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–

22.10.2021

उभय पक्षों की ओर से हाजिरी है। वादी की ओर से आवेदन दिनांक–05.11.2019 अन्दर आदेश–6 नियम–17 वो भी दफा–151 सी0पी0सी0 पर प्रत्युतर दिनांक–18.12.2020 सुनवाई के पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत है।

वादी ने अपने आवेदन मे सार रूप मे कहा है कि टंकक की गलती के कारण अर्जीदावी मे कई जगह भुनेश्वर सिंह के स्थान पर भुवनेश्वर सिह नाम दर्ज हो गया है जिसको मरम्मति करना न्याय के लिए जरूरी हो गया है। मरम्मति फॉरमल नेचर का है, इससे अर्जीदावी का स्वरूप नहीं बदलता है। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि अर्जीदावी मे जहॉ–जहॉ भुनेश्वर सिंह का नाम दर्ज है, वहां–वहां भुनेश्वर सिंह का नाम दर्ज करने का आदेश देने की कृपा की जाए। ।

वादी की ओर से अपने प्रत्युतर मे सार रूप मे कहा है कि मुदई का आवेदन दिनांक–05.11.2019 वास्ते करने संशोधन सरासर बैमानी भरा तथ्य से परे आवेदन के अलावे कुछ भी नही है क्योंकि जिस अक्षर के बदलाव हेतु उन्होनें आवेदन दिया है वो सुसंगत तथ्य नही है। मुदई का ब्यान आवेदन के पैरा–1 मे नाम मुनेश्वर सिंह के स्थान पर दर्ज अर्जीदावी भुवनेश्वर सिंह करना अर्जीदावी करना कतई आवश्यक नही अपितु वाद को लंबित करने के मंशा भर है क्योकि भुवनेश्वर सिंह अथवा मुनेश्वर सिंह मरहुम मुदई सं0 1 चन्देश्वर सिंह के पिता थे जो इस वाद मे फरीक नहीं है। मुदई ने कतई अपने आवेदन मे इस बात का जिक्र नही किया है कि अर्जीदावी के किन किन पंक्तियों मे भुवनेश्वर

सिंह का नाम आया है और कहां कहां संशोधन करना है। मुदईयान द्वारा मुदई सं0 1 के मृत्यु के उपरांत उनके वारिसानों के प्रतिस्थापना हेतु आवेदन दिनांक–19.07.2010 के आवेदन मे भी सिर्फ मुदई सं0 1 चन्देश्वर सिंह के नाम को काटने का प्रार्थना किया परन्तु उनके वल्दीयत को काटने का उल्लेख नही किया और न ही उनके वल्दीयत का जिक्र किया गया। साथ ही मुदईयान द्वारा न्यायालय के आदेश के अवहेलना करते हुए चन्देश्वर सिंह के अतिरिक्त उनकी वल्दीयत भी काट दी गयी। जिसके कारण अर्जीदावी मे विरोधारण बरकरार रह गया। विदित हो कि मुदई सं0–1 द्वारा अर्जीदावी के घोषणा मे यह स्पष्ट किया है कि अर्जीदावी मे उल्लेखित सभी बातें बइल्म उनके खुद होना स्वीकार किया है तथा लेख्य प्रमाणक द्वारा भी उनके वल्दीयत मे भुनेश्वर सिह ही दर्ज किया है जो अर्जीदावी के बारह वर्षो तक उन्हे स्वयं इस बात की स्वीकृति थी न ही चन्देश्वर सिंह स्वयं अथवा उनके वारिसान द्वारा चन्देश्वर सिंह के पिता के नाम पर किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज की गयी। फलतः आवेदन दिनांक–05.11.2019 विचारणीय नही है। मुदई सं0–2 ता 4 के पिता चन्द्रिका सिंह करने दाखिल मुकदमा कायम थे, उनके द्वारा भी खुद उनके पिता के नाम मे त्रुटि नजर नही आयी आर न ही सिर्फ मुदईयानों को पिछले 21 वर्षो तक इस बात की जानकारी हुयी । जिसके कारण तमाम आदेश निर्गत बजरिय न्यायालय वास्ते मुदईयान अथवा विरूद्ध मुदईयान पारित हुआ वो सभी आदेश स्वतः नल एवं भोआयड घोषित हो जाएगा। मुदईयान द्वारा अपने आवेदन मे इस बात को कतई स्वीकार नह किया है कि मुनेश्वर सिंह के स्थान पर भुनेश्वर सिंह भूलवश अथवा टंकक की गलती से हुयी है जो सुधार करना आवश्यक है जो सरासर आदेश–6 नियम–17 वो धारा–152 एवं 153 जाप्ता दिवानी के विरूद्ध है। मुदईयान द्वारा अर्जीदावी मे की गयी त्रुटि पूर्णत उनके मालाफाइड नेचर को दर्ज करते है जिसे कतई स्वीकार नही किया जा सका हैं । अतः निवेदन है कि मुदालह–1 के प्रत्युतर को स्वीकार कर मुदई के आवेदन दिनांक–05.11.2019 को अस्वीकृत करते हुए वाद को गलत तथ्यों के अंदर हुए दाखिले के कारण खारिज किया जाए ताकि न्याय हो सक। .

उभयपक्षों का सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी का आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। वादी का संशोधन आवेदन साधारण प्रकृति का है। इससे वाद के स्वरूप एवं क्षेत्राधिकार पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। अतः वादी के आवेदन दिनांक–05.11.2019 को मो0 500/–रू0 खर्चे के

साथ स्वीकृत किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश से 14 दिनों के अंदर अपने आवेदन के आलोक मे मरम्मत कर लें। वाद दिनांक–23.11.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर सारण।